2018 का विधेयक सं. 1

राजस्थान विनियोग (सं. 1) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वितीय वर्ष 2014-2015 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं. 1) अधिनियम, 2018 है।
- 2. वितीय वर्ष 2014-2015 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 3,15,36,084/- रु. का प्राधिकृत किया जाना.- अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, संदाय के अनुक्रम में आये विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उक्त वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त संदत्त, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनिधक और कुल मिलाकर मात्र 3,15,36,084/- रु. (तीन करोड़ पन्द्रह लाख छत्तीस हजार चौरासी रुपये) की कतिपय और राशियों का विनियोजन 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित उक्त सेवाओं के लिए किया जाना एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

(Authorised English Version)

CONFIDENTIAL Bill No. 1 of 2018

THE RAJASTHAN APPROPRIATION (NO. 1) BILL, 2018 (To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A Bill

to authorise the appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2014-2015 ended on the 31st March, 2015 in excess of the amount granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title.-** This Act may be called the Rajasthan Appropriation (No. 1) Act, 2018.
- 2. Authorisation of Rs. 3,15,36,084/- out of the Consolidated Fund of the State for the financial year 2014-2015.- Certain further sums not exceeding those specified in Column 2 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 3,15,36,084/- (Rupees Three Crore Fifteen lakh Thirty Six thousand Eighty Four) only paid from and out of the Consolidated Fund of the State towards defraying the several charges which come in course of payment during the year ended on the 31st day of March, 2015 in respect of the services specified in Column 1 of the Schedule are hereby authorised to be appropriated for such services in relation to the year ended on the 31st March, 2015 in excess of the amount granted for those services and for the said year.

अनुसूची THE SCHEDULE

(देखिये धारा 2) (See section 2)

(रुपयों में)

(In Rupees.)

	अतिरिक्त विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है। Excess Appropriation not exceeding to				
सेवाएं और प्रयोजन	दत्तमत		प्रभृत		योग
Services and Purposes	Voted		Charged		Total
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	
	Revenue	Capital	Revenue	Capital	
समेकित निधि					
Consolidated Fund					
(प्रभृत व्यय)					
Charged Expenditure					
(लोक ऋण)					
6003 - राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	-	-	-	3,15,36,084	3,15,36,084
Internal Debt of the State Government					
6004 - केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम					
Loans and Advances from the Central					
Government					
योग		_	_	3,15,36,084	3,15,36,084
Total					
योग - समेकित-निधि	-	-	-	3,15,36,084	3,15,36,084
Total - Consolidated Fund					

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, इसके साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वितीय वर्ष 2014-2015 के लिए राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय के और विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों के नियमितीकरण हेतु अपेक्षित धनराशियों का, उक्त समेकित निधि में से विनियोजन किये जाने का उपबन्ध करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204(1) के अनुसरण में, पुरःस्थापित किया जाता है।

वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री।

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Bill is introduced in pursuance of Article 204(1) of the Constitution of India read with Article 205 thereof to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of the moneys required for regularisation of the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants made by the Legislative Assembly for the financial year 2014-2015 ending on the 31st day of March, 2015 as per Schedule appended to the Bill.

वसुन्धरा राजे, Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन राज्यपाल महोदय की सिफारिश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं इसके द्वारा राजस्थान विनियोग (सं. 1) विधेयक, 2018 को राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत तथा प्रस्तावित किये जाने और उक्त विधान सभा द्वारा उस पर विचार किये जाने की सिफारिश करता हूँ।

राजस्थान विधान सभा RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वितीय वर्ष 2014-2015 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

A Bill

to authorise the appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2014-2015 ended on the 31st March, 2015 in excess of the amount granted for those services and for that year.

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा) (To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

> पृथ्वी राज, **सचिव।** PRITHVI RAJ, Secretary.

(वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री) (VASUNDHARA RAJE, Minister Incharge)